|  |
| --- |
| **भूमे गाउँपालिका****स्थानीय राजपत्र****खण्डः 5 संख्याः 3 मितिः २०७8/03/10****भाग-2****भूमे गाउँपालिका** |

**उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक छनौट मार्गदर्शन,२०७८**

गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्तुत मितिः २०७८।०3।08

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मितिः २०७८।03।08

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| भूमे गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक छनौट, सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय रुपमा कार्यन्यवन गर्नका लागि भूमे गाउँपालिकाले यो मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।**१.सक्षिप्त नाम र पारम्भः** (१) यस मार्गदर्शनको नाम “**उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक छनौट मार्गदर्शन,२०७८**” रहेको छ ।(२) यो मार्गदर्शन गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भए पश्चात तुरन्त लागू हुनेछ ।**२. परिभाषाः** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस मार्गदर्शनमाःक) ” छनौट समिति” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक छनौट समितिलाई सम्झनु पर्छ।ख )” गाउँ शिक्षा समिति” भन्नाले भूमे गाउँपालिका स्तरीय गठन भएको गाउँ शिक्षा समितिलाई समझ्नु पर्छ ।ग) ”शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा ” भन्नाले भूमे गाउँपालिका अन्तरगत रहेको शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखालाई सम्झनु पर्छ ।घ) ”सामुदायिक विद्यालय ” भन्नाले नेपाल सरकारबाट निरन्तर रुपमा अनुदान प्राप्त गर्ने स्वीकृती वा अनुमति प्राप्त विद्यालयलाई सम्झनु पर्छ ।ङ) “ शिक्षक“ भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने अध्यापकलाई सम्झनु पर्दछ।सो शब्दले प्रधानाध्यापकलाई समेत जनाउँछ।च)” आधारभूत विद्यालय” भन्नाले वालविकास कक्षा देखि कक्षा ८ सम्मा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ ।सो शब्दले (वालविकास कक्षा-३),(वालविकास कक्षा-५),(वालविकास कक्षा- ८),(कक्षा १-३),(कक्षा १-५),(कक्षा १-८) र (कक्षा ६-८) समेत जनाउँछ ।छ) ” माद्यामिक विद्यालय” भन्नाले वालविकास कक्षा देखि कक्षा १२ सम्मा सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सम्झनु पर्छ । सो शब्दले (वालविकास कक्षा-१० कक्षा),(वालविकास कक्षा-१२ कक्षा),(कक्षा १-१०), (कक्षा १-१२),(कक्षा ६-१०),(कक्षा ६-१२),(कक्षा ९-१०),(कक्षा ९-१२)लाई समेत जनाउँछ ।**३) उद्देश्यः** यस मार्गदर्शनको उद्देश्य निम्न रहेका छन ।क) उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक छनौटका अधार र मापदण्ड निर्धारण गरी पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।ख) तोकिएको आधार र मापदण्ड बमोजिम उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक छनौट गरी पुरस्कृत गर्न सहयोग पुर्‍याउने ।ग) उत्कृष्ट छनौट हुने विद्यालय तथा शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिने रकमलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उपयोग गर्न मार्गदर्शन गर्ने ।**४.निर्देशक समितिः** उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक छनौट कार्यक्रममा कुनै बाधा ब्यवधान आई परेको खण्डमा नितिगत निर्णय गर्न तथा कार्यक्रम संचालनका लागि समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनका लागि देहायबमोजिमको एउटा निर्देशक समिति रहनेछ ।क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष ------------------------------------------------------------------------------------------संयोजकख) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष -------------------------------------------------------------------------------------------सदस्यग) प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत --------------------------------------------------------------------------------------------सदस्यघ) शाखा प्रमुख(प्रशासन,योजना तथा अनुगमन शाखा) ----------------------------------------------------------------सदस्यङ) शाखा प्रमुख(शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा) ----------------------------------------------------------------- सदस्य सचिव**५.छनौट समितिः**(१) गाउँपालिकाका उत्कृष्ट विद्यालय छनौटका लागि देहायबमोजिम एक छनौट समिति रहनेछ।क) गाउँ शिक्षा समितिको संयोजक-----------------------------------------------------------------------------------संयोजकख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-------------------------------------------------------------------------------------- सदस्यग) शाखा प्रमुख(शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा)----------------------------------------------------------------- सदस्य सचिव(२) उत्कृष्ट शिक्षक छनौटका लागि देहायबमोजिम एक छनौट समिति रहनेछ ।क) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत -----------------------------------------------------------------------------------संयोजकख) प्रतिनिधि,गाउँपालिका शिक्षा समिति------------------------------------------------------------------------- सदस्यग) प्रमुख, शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखा ------------------------------------------------------------------सदस्य सचिव(३) यस दफा बमोजिमको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समितिले आफै तयार गर्न सक्नेछ ।**६.छनौट समितिको भुमिकाः** दफा ५ बमोजिम गठित समितिको कार्यविवरण देहायबमोजिम हुनेछ ।क) वडाबाट प्राप्त सिफारिसहरुको दफा ८ को आधारमा उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षक मूल्याङ्कन गर्ने ।ख) उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई दिइने पुरस्कारको रकमको निर्धारण गर्ने ।ग) छनौट भएका उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षकहरुको सूची अभिलेखीकरण गर्ने ।**७.शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखाको भूमिकाः** उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक छनौट गर्न तथा छनिएका विद्यालयहरुलाई प्रदान गर्ने पुरस्कार रकमको कार्यन्यवनका सन्दर्भमा शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखाको भूमिका निम्न अनुसार हुनेछ ।क)सम्बन्धित वडालाई उत्कृष्ट विद्यालय तथा शिक्षक सिफारिस गर्न पत्राचार गर्ने ।ख) वडाबाट प्राप्त सिफारिसहरुलाई संकलन गरी छनौट समिति समक्ष पेश गर्ने ।ग) छनौट समितिबाट सिफारिस भई आएका विद्यालय तथा शिक्षकहरु सँग सम्झौता गर्ने ।घ)कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।ङ)प्रगति विवरणको आधारमा रकम भुक्तानी दिने ।च)विद्यालयमा हुनुपर्ने न्यूनतम समाग्रीहरुको न्यूनतम मापदण्ड कार्यन्वयनमा ल्याउने ।**८. उत्कृष्ट विद्यालय छनौटका आधार तथा मापदण्डहरुः**(१)उत्कृष्ट विद्यालय छनौट आधार तथा मापदण्डहरु देहायबमोजिम हुनेछः

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | आधार  | मापदण्ड | अङ्कभार | कैफियत |
| १ | विद्यार्थी सङ्ख्या | ३०० सम्माको ३ अङ्क,५०० सम्माको ५ अङ्क,७०० सम्माको ७ अङ्क,७०० भन्दा माथी १० अङ्क | १० | माद्यामिक विद्यालयको हकमा |
| २००सम्माको ३ अङ्क,३०० सम्माको ५ अङ्क,४००सम्माको ७ अङ्क,४०० भन्दा माथी १० अङ्क |  | आधारभूत विद्यालयको हकमा |
| २ | सिकाइ उपलब्धी |  अघिल्लो शैक्षिक वर्षको सिकाइ उपलब्धी ‍औसत २ सम्माकोलाई १० अङ्क,३सम्माकोलाई १५ अङ्क,३ भन्दा माथी सम्माकोलाई २० अङ्क | २० |  |
| ३ | दलित विद्यार्थी | २० प्रतिशत सम्म भए २ अङ्क,३० प्रतिशत सम्म भए ३ अङ्क र ३० प्रतिशत भन्दा माथी भए ५ अङ्क | ५ |  |
| ४ | प्रवर्धनात्मक कार्यहरु शिक्षण सिकाइ सँग सम्बन्धित | विद्यालयले गरेको प्रवर्धनात्मक काम सङख्या बढीमा १० वटा,१० अङ्क(प्रति पवर्धनात्मक १.५ अङ्क) | १५ |  |
| ५ | SEE/GPA | ३ वर्षको औसत GPA १.५ भए १० अङ्क,२ सम्मा भए १५ अङ्क, २ भन्दा बढी भए २० अङ्क | २० | माद्यामिक विद्यालय(९-१२)को हकमा |
| Class-8 /GPA | ३ वर्षको औसत GPA १.५ भए १० अङ्क,२ सम्मा भए १५ अङ्क, २ भन्दा बढी भए २० अङ्क | २० | आधारभूत विद्यालय(१-८)को हकमा |
| Class-5/GPA | ३ वर्षको औसत GPA १.५ भए १० अङ्क,२ सम्मा भए १५ अङ्क, २ भन्दा बढी भए २० अङ्क | २० | आधारभूत विद्यालय(१-८)को हकमा |
| ६ | बालमैत्री सिकाइ वतावरण(शुद्ध खानेपानी,शुल्भ शौचालय,सरसफाई,विद्यालय व्यस्थापन आदी) | समान्य भए १० अङ्क,सन्तोषजनक भए १५अङ्क र उच्चतम् भए २० अङ्क | २० |  |
| ७ | शैक्षिक गुणस्तरमा वि.व्य.स र शिक्षक अभिभावक संघको भूमिका | समान्य भए ५ अङ्क,सन्तोषजनक भए ८ अङ्क र उच्चतम् भए १० अङ्क | १० |  |
|  | जम्मा |  | १०० |  |

**(२) उत्कृष्ट शिक्षक छनौटका आधार तथा मापदण्डहरु देहायबमोजिम हुनेछः**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | आधार  |  मापदण्ड | अङ्कभार | कैफियत |
| १ | कार्य अनुभव | ५ वर्ष सम्माको ५ अङ्क. ७ वर्ष सम्माको ७ अङ्क र सो भन्दा माथी १० अङ्क | १० |  |
| २ | शैक्षिक उपलब्धी | आफूले अध्यापन गर्ने विषयको पछिल्लो ३ वर्षको ‍औसत GPA १.५ सम्माको भए १० अङ्क,२ सम्मा भए १५ र २ भन्दा माथी भए २० अङ्क | २० | अघिल्लो शैक्षिक शत्रको |
| ३ | शैक्षिक योग्यता | न्यनतम् शैक्षिक योग्यता भए ५ अङ्क,एक तह मथिल्लो भए ८ र सो भन्दा माथी भए १० अङ्क | १० |  |
| ४ | विशेष जिम्मेवारी | विशेष जिम्मेवारी नलिएको भए ५ अङ्क र लिएको भए १० अङ्क | १० |  |
| ५ | प्रवर्धानात्मक कार्यहरु | शिक्षकले गरेका प्रवर्धानात्मक काम सङख्या बढीमा ५ वटा,१० अङ्क(प्रति प्रवर्धानात्मक २ अङ्क) | १० |  |
| ६ | अध्ययन अनुसन्धान | आफूले अध्यापन गर्न विषयमा पछिल्लो ३ वर्षमा गरेका अनुसन्धान ३ वटा सम्मा भए ५ अङ्क र सो भन्दा माथी भए १० अङ्क | १० |  |
| ७ | सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग | सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने भए शुन्य अङ्क, समान्य रुपमा कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न सक्ने भए १० अङ्क र कुशलता पूर्वक कक्षाकोठामा/शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरेको भए २० अङ्क | २० |  |
| ८ | कक्षाकोठा व्यस्थापन | नियमित गृहकार्य परीक्षण,नियमित कक्षाकार्य परीक्षण,मासिक र एकाइ परीक्षा जस्ता सूचकहरु सबै प्राप्त भएमा १० अङ्क कुनै दुई सूचक मात्र प्राप्त भएमा ५ अङ्क र कुनै पनि नभएम शुन्य अङ्क | १० |  |
|  | जम्मा |  | १०० |  |

९.कार्यक्रममा खर्च हुने रकमः विद्यालयले विद्यालय व्यस्थापन समितिको निर्णय तथा कार्ययोजनाको आधारमा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा नियमानुसार मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ ।१०.प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेः यस मार्गदर्शनमा उल्लेखित विषयको हकमा यसै बमोजिम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।११. संसोधनः गाउँ कार्यपालिकाले अवश्यकता अनुसार यो मार्गदर्शन संशोधन तथा परिमार्जन गर्न सक्नेछ। |

|  |
| --- |
| **आज्ञाले,****चन्द्रसिंह श्रेष्ठ****प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत** |

**cg';"rL @**

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-@ ;Fu ;DalGwt\_

|  |
| --- |
| C:\Users\admin\Desktop\pp photos_ logo\Logo_GoN.jpge"d] ufpFkflnsf:yfgLo /fhkqv08M=== ;+VofM=== ldltM ====÷==÷==**efu–@****e"d] ufpFkflnsf** |

|  |
| --- |
| sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f |

|  |
| --- |
| cf1fn],gfdk|d'v k|zf;sLo clws[t |